

## कार्यालय आदेश

दिनांक 15 नवम्बर, 2018 को Ease of Doing Business के संबंध में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक एवं तत्संबंध में दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि उद्योगों में Surprise Inspections एवं Complaint Based Inspections कार्यालयाध्यक्ष की अनुमति से ही किया जाए।

एतद्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि भविष्य में Surprise Inspections एवं Inspections जो कि Complaint Based हैं, कार्यालयाध्यक्ष की अनुमति से ही किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

  
 \_\_\_\_\_  
 (अनिल पेटवाल)  
 श्रम आयुक्त (कार्यवाहक) उत्तराखण्ड,  
 हल्द्वानी।

**कार्यालय:** श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।  
**संख्या :** १०७। /मु०-प्रवर्तन/2019                            **दिनांक :** २७/०३/२०१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाये जाने हेतु।
- 2— सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 3— संयुक्त श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।
- 4— उप निदेशक कारखाना / ब्यायलर, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 5— समस्त उप श्रम आयुक्त / सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 6— सहायक निदेशक, कारखाना / ब्यायलर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7— समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

  
 \_\_\_\_\_  
 (अनिल पेटवाल)  
 श्रम आयुक्त (कार्यवाहक) उत्तराखण्ड,  
 हल्द्वानी।